न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना *आर. ए. एस.*

वाद पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/98/19	17.06.2019	22.10.2019

उनवान

1. भगवानदास पुत्र यारूराम जाति ओड निवासी ग्राम खोहर तह0 रामगढ जिला अलवर।

..........................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ ।

.........................अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 0.23, 579 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। और मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। और प्रार्थी के अलावा किसी दीगर शख्स का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। पूर्व में प्रार्थी ने विवादित आराजी की पैमाईश व सीमाज्ञान करायी थी जो प्रार्थी व अन्य गांव वालों की मौजूदगी में नियामानुसार करवाई थी। अब दिनांक 06.04.2019 को पडौसी खेत वाले व्यक्ति ने उक्त आराजी की बाबत जो तारबन्दी की थी उसको हटा दी व पैमाईश के निशान समाप्त कर दिये और अ बवह बतौर बदयान्ति प्रार्थी की आराजी का रकबा अपनी आराजी में मिलाना चाहता है। जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी अपनी आराजी की पैमाईश कर पत्थरगढी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी 578 रकबा 0.23, 579 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहर तहसील रामगढ जिला अलवर की नियामानुसार पत्थरगढी व पैमाईश टीम गठित करवाकर कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 579 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहर तहसील रामगढ के पडौसी खातेदारान को पार्टी नही बनाया जो अति आवश्यक है।

... की पैमाईश व सीमाज्ञान कराई थी जो प्रार्थी व अन्य गांव वालो की मौजुदगी मे नियमानुसार करवाई थी ।

पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 24.05.2018 इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 578, 579 की पैमाईश करने मौके पर पहुचा। मौके पर प्रार्थियान भगवानदास की उपस्थिति व आस पडौस की मौजूदगी में ख0 नं0 578, 579 का सीमाज्ञान कराया गया। मौका पर्चा तैयार कर सुनाया गया। उपस्थितगणों के हस्ताक्षर कराये गये।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 , मौका पर्चा दिनांक 24.05.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 , मौका पर्चा दिनांक 24.05.2018 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के ख0 नं0 578 रकबा 0.23, 579 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहर का सीमाज्ञान दिनांक 24.05.2018 को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के आराजी हाल ख0 नं0 578 रकबा 0.23, 579 रकबा 0.20 हैक्ट0 वाके ग्राम खोहर तहसील रामगढ की पत्थरगढी पडौसी काश्तकारों को नोटिस देकर एवं राजस्व अधिकारी व पटवारीगणों की गठित टीम के साथ मौके पर पत्थरगढी कराना 15 दिवस में सुनिश्चित करे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

...आराजी की पैमाईश व सीमाज्ञान कराई थी जो प्रार्थी व अन्य गांव वालो की मौजुदगी मे नियमानुसार करवाई थी ।